रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 1975/आषाढ 23 1897
No. 196] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 1975/ASADHA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Coal)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th July, 1975

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, for item 1 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"1. COAL—	
(1) Group I coals :	Five rupees per tonne.
(a) Coking coal : Grades A, B and C.	
(b) Non-coking coal : Selected Grade A.	
(2) Group II coals :	Four rupees and fifty paise per tonne.
(a) Coking coal : Grades D and E.	
(b) Non-coking coal : Selected Grade and Selected Grade B.	
(3) Group III coals :	Four rupees per tonne.
(a) Coking coal : Grades F, G, H and HH.	
(b) Non-coking coal : Grade I and Assam coals and Singareni coals.	
(4) Group IV coals :	Three rupees and fifty paise per tonne.
(a) Coking coal : Grades J and K.	
(b) Non-coking coal : Grades II, III, IIIA, III B.	

(5) Group V coals : Ungraded coals	Two rupees per tonne.
(6) Group VI coals : Rejects	One rupee per tonne.

Explanation.—For the purpose of this item—

(i) the grade of coal shall be as prescribed under clause 3 of the Colliery Control Order, 1945;

(ii) "Ungraded coals" are coals whose ash or ash plus moisture content, as the case may be exceeds the specifications prescribed by the Government for the purpose of grading under the Colliery Control Order, 1945, but such ash or ash plus moisture does not exceed 50 per cent of the coal;

(iii) Rejects are coals whose ash or ash plus moisture content, as the case may be, is in excess of 50 per cent of the coal".

2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1975.

[No. F. 22(2)/75-CEL]
S. B. LAL, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 407 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, मद 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1. कोयला—

(1) कोयला समूह I पचास रुपये प्रति टन

(क) कोककारी कोयला : श्रेणी क, ख और ग

(ख) गैर–कोककारी कोयला : चयन श्रेणी क

(2) कोयला समूह II : चार रुपये पचास पैसे प्रति टन

(क) कोककारी कोयला : श्रेणी घ और ङ

(ख) गैर कोककारी कोयला : चयन श्रेणी और चयन श्रेणी ख

(3) कोयला समूह III : चार रुपये प्रति टन

(क) कोककारी कोयला : श्रेणी च, छ, ज और ज ज

(ख) गैर–कोककारी कोयला : श्रेणी झ और आसाम कोयला तथा सिंगरैनी कोयला

(4) कोयला समूह IV : तीन रुपये पचास पैसे प्रति टन

(क) कोककारी कोयला : श्रेणी ञ और ट

(ख) गैर–कोककारी कोयला श्रेणी II, III , III क,III ख

(5) कोयला समूह V : श्रेणी रहित कोयला दो रुपये प्रति टन

(6) कोयला समूह VI : त्यक्त (रिजैक्ट) एक रुपये प्रति टन

स्पष्टीकरण.—इस मद के प्रयोजन के लिए—

(i) कोयले की श्रेणी वह होगी जो खदान नियंत्रण आदेश, 1945 के खण्ड 3 के अधीन विहित की जाए ;

(ii) "श्रेणी रहित कोयला" वह कोयला है जिसका, यथास्थिति, राख या राख तथा सीला हुआ भाग, खदान नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विहित किए गए परिमाणों से अधिक हो, किन्तु ऐसा राख या राख तथा सीला हुआ भाग कोयले के पचास प्रतिशत से अधिक न हो ;

(iii) "त्यक्त (रिजैक्ट)" वह कोयला है जिसका यथास्थिति, राख या राख तथा सीला हुआ भाग कोयले के पचास प्रतिशत से अधिक हो ।"।

2. यह अधिसूचना 1975 की अगस्त के प्रथम दिन प्रवृत्ति होगी ।

[सं० फा० 22(2)/75 स० ई० ए१०]

एस० बी० लाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975